(10)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 71/2014

1. गुरचरणसिंह पुत्र स्व. त्रिलोक सिंह पौत्र स्व. जागरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सादकवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. त्रिलोक सिंह पौत्र स्व. जागरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम कुंआ डेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला पंजाब।
3. स्वरूप सिंह पुत्र स्व. त्रिलोक सिंह (मृतक) :–

3/1. लखमीर कौर पत्नी स्व. स्वरूपसिंह
3/2. सोनासिंह पुत्र स्व. स्वरूपसिंह
3/3. कुलवन्तकौर पुत्री स्व. स्वरूपसिंह
3/4. सरिन्दर सिंह पुत्र स्व. स्वरूपसिंह

} जाति रायसिख निवासी कुंआ डेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला पंजाब

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. मलकीतसिंह
2. जगजीत सिंह

} पुत्रगण स्व. ज्ञानसिंह पौत्रगण स्व. कश्मीरसिंह पुत्र स्व. जागरसिंह अकवाम रायसिख निवासी ग्राम कुंआडेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला, पंजाब।

3. जोगिन्दर कौर पुत्री स्व. ज्ञानसिंह पौत्री स्व. कश्मीरसिंह पुत्र स्व. जागरसिंह पत्नी मक्खनसिंह अकवाम रायसिख निवासी ग्राम कुंआडेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला, पजांब।
4. ध्यानसिंह
5. दारासिंह

} पुत्रगण स्व0 कश्मीर सिंह पौत्रगण जागरसिंह अकवाम रायसिख निवासी ग्राम कुंआडेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला, पंजाब।

6. ग्यानो बाई पुत्री स्व. कश्मीरसिंह पौत्री स्व. जागरसिंह पत्नी बलबीरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम भुम्बा बट्टू तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब।
7. रूको बाई पुत्री स्व0 कश्मीरसिंह पौत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी चन्दसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम लखे कढ़ाइयो तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब।
8. भजनसिंह पुत्र स्व0 अर्जनसिंह पौत्र स्व0 जागरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सादकवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
9. गुलाबसिंह
10. गुरचरणसिंह

} पुत्रगण स्व0 अर्जनसिंह पौत्रगण स्व. जागरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम कुंआडेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला , पंजाब।

11. जिन्दो बाई पुत्री स्व0 अर्जनसिंह पौत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी रणजीतसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम कुंआडेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला, पंजाब।
12. लाडो बाई पुत्री स्व0 अर्जनसिंह पौत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी जोगासिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सादकवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

13.11.19
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

(11)

अपील संख्याः– 71/2014

13. भजनकौर पुत्री स्व0 अर्जनसिंह पौत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी अमरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम गदली गांव तहसील व जिला कैथल।
14. कश्मीरकौर पुत्री स्व0 त्रिलोकसिंह पौत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी अग्रेंजसिंह जाति रायसिख निवासी लौहगंढ़ तहसील सरदूलगढ़ जिला मानसा, पंजाब।
15. कर्मजीतसिंह
16. मनजीत कौर
17. राज कौर

पुत्र व पुत्रींया सुबेधसिंह(पिता) व स्व0 छिन्द्रकौर(माता) पुत्री स्व0 त्रिलोकसिंह पुत्र स्व0 जागरसिंह अकवाम रायसिख निवासी ग्राम कुंआ डेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला, पंजाब।

18. जसपाल कौर पुत्री स्व0 संतकौर(माता) पुत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी ध्यानसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मौलवीवाला तहसील पातड़ा जिला पटियाला, पंजाब।
19. रणजीतसिंह
20. सुबरेसिंह
21. बंसोबाई
22. प्रीतोबाई

पुत्रगण व पुत्रींया स्व0 अमरकौर(माता) पुत्री स्व0 जागरसिंह अकवाम रायसिख निवासी ग्राम कुंआडेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला पंजाब।

23. बलविन्द्र कौर पुत्री स्व0 अमरकौर(माता) पुत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी चन्द सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम लौहखेड़ा तहसील टोहाना जिला हिसार हरियाणा ।
24. ठाकर कौर पुत्री स्व0 अमरकौर(माता) पुत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी जसवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सिन्धुगेट तहसील जगरावा जिला लुधियाना पंजाब।
25. पाल कौर पुत्री स्व0 अमरकौर(माता) पुत्री स्व0 जागरसिंह पत्नी चन्दसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम कुंआ डेरी तहसील पातड़ा जिला पटियाला, पंजाब।
26. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधी तहसीलदार, राजस्व सूरतगढ़।
27. उप–पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़।
28. शाखा प्रबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक, सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ़।

.....रेस्पोण्डेन्टस्

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अपीलान्टस् की ओर से
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5 ता 11, 13 व 19,
3. रेस्पो. संख्या 1, 4, 14, 15, 17, 18, 20 से 24 स्वंय उपस्थित
4. रेस्पो. संख्या 2, 3, 6, 12, 16, 25, 27, 28 अनुपस्थित
5. पैरोकार राज रेस्पो. 26

13.11.19
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

(12)

अपील संख्याः– 71/2014

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 13-11-19

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। सक्षेपं मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रस्तुत अपील अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 08.03.2013 अपील संख्या 18/2013 बअनवानी भजनसिंह आदि बनाम सरकार में जागरसिंह पुत्र गुरदित्त सिंह रायसिख निवासी सादेकी द्वारा अपने नाम की भूमि चक 207 आर.डी. की 23.15 बीघा की वसीयत दिनांक 27.11.1995 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पो. संख्या 5 ता 11, 13 व 19 की तरफ से श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता उपस्थित आये, रेस्पो. संख्या 1, 4, 14, 15, 17, 18, 20 से 24 ने स्वंय उपस्थित होकर अपील के समर्थन में अपना कथन किया व रेस्पो. संख्या 2, 3, 6, 12, 16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्ट्स ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व. जागरसिंह पुत्र गुरदित्तसिंह रायसिख के नाम से चक 207 आर.डी. में कृषि भूमि पत्थर नम्बर 89/327 किला 1 ता 10, 11/1, 12 ता 19, 21/1 ता 25/1 में 5.871 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी। तथाकथित वसीयत दिनांक 27.11.1995 के आधार पर दिनांक 08.03.2013 को तहसीलदार सूरतगढ़ ने एकतरफा तौर पर अपीलान्ट व जागरसिंह के अन्य वारिसों को बिना सुने जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जागरसिंह के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उसके कुल पांच सन्तानें कशमीरसिंह, अर्जनसिंह, त्रिलोकसिंह तीन पुत्र व संतकौर व अमरकौर दो पुत्रीयां थी। इन पांचो का भी स्वर्गवास हो गया। इन सभी के वारिस अपीलान्ट व रेस्पो. हैं जिनको अपील में पक्षकार बनाये गये हैं। अपील मीमो में अपीलान्ट ने यह भी लिखा हैं कि केवल भजनसिंह द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस पर तहसील में जो रिपोर्ट आई हैं उसमें सभी वारिसों का भूमि पर कब्जा होना बताया गया हैं फिर भी उन्हें सूचना नहीं दी गई। उनका यह भी कथन हैं कि जो सार्वजनिक सूचना दिनांक 18.12.2012 को जारी की गई थी, वह अखबार लोकसम्मत एक दैनिक समाचार पत्र हैं जो श्रीगंगानगर से प्रकाशित होता हैं, जबकि अपीलान्टगण 2–3 व उनके वारिस पंजाब में रहते हैं इसलिए उनको सूचना नहीं हो पाई। जिस वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया हैं वह वसीयत उप–पंजीयक से रजिस्टर्ड नहीं हैं जबकि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 132 के अनुसार वसीयत का पंजीयन होना आवश्यक हैं। सम्पूर्ण जांच करवाये बिना ही आदेश पारित किया गया हैं, अपीलान्ट के दादा स्व. जागरसिंह द्वारा कोई वसीयत नहीं करवाई गई थी। पत्रावली से साबित हैं कि एक पक्षकार को लाभ पंहुचाने के लिए जल्दबाजी में सारी कार्यवाही की गई है। न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं, वसीयत को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं करवाया गया हैं। अपील मीमों में यह भी लिखा हैं कि दिनांक 30.06.2014 को अपीलान्ट अपना विरासत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

अपील संख्याः– 71/2014

का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का से मिले तो वसीयत के आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 145 दिनांक 06.05.2013 का ज्ञान हुआ। दिनांक 07.07.2014 को आदेश की नकल प्राप्त होने पर व अन्य नकलें दिनांक 14.07.2014 को प्राप्त होने पर दिनांक 17.07.2014 को अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र सहित दिया गया है, इसलिए अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील का निर्णय गुण व दोष के आधार पर किया जावे। अपील के साथ में प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया हैं कि अपीलान्टगण हितबद्ध पक्षकार हैं व जैरअपील निर्णय से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्हें अपील करने का हक हैं, अंत में लिखा हैं कि अपील न्यायालय के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में हैं व अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय पत्रावली संख्या 18/2013 दिनांक 08.03.2013 को निरस्त किया जावे।

दौराने अपील अपीलान्ट्स ने अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. से असल वसीयत अदालत के समक्ष प्रस्तुत करवाई जावे। रेस्पों. ने उक्त दरख्वास्त का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि असल वसीयत दिनांक 27.11.1995 वर्ष 2016 में गुम हो गई। उस थेले में आधारकार्ड व वसीयत थी जो तलाश करने पर नहीं मिलने पर थाना जैतसर में क्रं. सं. 31 पर दिनांक 02.03.2016 को रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी जिसके साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर सीमा संदेश अखबार में भी कागज गुम होने की सूचना प्रकाशित करवाई थी। शपथ पत्र व अखबार की प्रति जवाब के साथ पत्रावली में प्रस्तुत किये गये। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2019 को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट संख्या 3 स्वरूपसिंह के स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायज वारिसों को बतौर अपीलान्ट संख्या 3/1 ता 3/4 पक्षकार बनाये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए ही बहस की कि वसीयत के आधार पर जो इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया हैं वह सही नहीं हैं, असल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई, जागरसिंह के सभी वारिसों का जैरअपील भूमि पर कब्जा हैं, सबको जरिये नोटिस सूचना नहीं दी गई जिस अखबार में सूचना दी गई हैं, वह श्रीगंगानगर से प्रकाशित होता हैं जबकि अपीलान्ट पंजाब में निवास करते हैं, वसीयत पंजीकृत नहीं हैं, एल.आर. एक्ट धारा 132 के अनुसार पंजीबद्ध होना आवश्यक है। वसीयत गवाहों से साबित नहीं करवाई हैं इसलिए तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.03.2013 निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में RRD1993 पेज 539, RRT2009 पार्ट प्रथम पेज 500, RRD 2002 पेज 673, व RBJ 2001 पेज 133सुप्रीम कोर्ट फैसले की जानकारी से मियाद मानी जावे के निर्णयों का ध्यान दिलाया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में अपील मियाद बाहर होने बाबत बहस करते हुए अपील समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की गई है, अपीलान्टगण को फैसलें का ज्ञान था व मियाद कानून दफा पांच में जो आधार बताया हैं वह उचित नहीं हैं, देरी के एक एक दिन का सन्तोषजनक विवरण दिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं, अपील के गुण अवगुण पर बहस करते

13.11.19
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

अपील संख्या:– 71 / 2014

हुए निवेदन किया गया कि वसीयतकर्ता जागरसिंह द्वारा अपने स्वस्थचित से ही वसीयत अपने तीन पुत्रों के पोतो को ही वसीयत की गई हैं, विरासतन इन्तकाल होने वाले वारिसों के मध्य ही वसीयत की गई हैं। वसीयत में गांव के दो मौतबर लोगो को साथ लेकर वसीयत करवाई गई थी उन गवाहों के द्वारा वसीयतकर्ता के स्वस्थचित होने व अपनी स्वतन्त्र इच्छा से वसीयत लिखवाई जाकर उन गवाहों के समक्ष अपना अंगुठा लगाया गया है व वसीयत नोटेरी एडवोकेट से तस्दीक करवाई है। वसीयत जिस प्रकार से की गई हैं उससे साबित हैं कि रकबा जायज वारिसों में काश्त की सुविधा के हिसाब से ही वसीयत करवाई गई है। वसीयत में जिस पक्षकार दारासिंह को रकबा कम दिया गया हैं उसे वसीयत से कोई एतराज नहीं हैं। इनका यह भी कहना हैं कि अपीलान्ट एक तरफ जैरप्रकरण भूमि पर काबिज होकर काश्त करने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखबार की सूचना नहीं होने पर पंजाब में निवास करना कह रहें हैं, यह आपस में विरोधाभाषी बहस हैं। वसीयत के दो मुख्य गवाहों ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करके जागरसिंह द्वारा वसीयत करवाने की सत्यता को सिद्ध किया है। जागरसिंह का स्वअर्जित रकबा था उसकी वसीयत उन्होनें अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपने तीनो पुत्रों के पुत्रों यानि पौत्रों के पक्ष में करवाई हैं, वसीयत फर्जी या गैरकानूनी नही करवाई गयी है तो अपीलान्ट जांच करवाने के लिए स्वतन्त्र थे जो नहीं करवाई गई। वसीयत एक व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छा का दस्तावेज हैं जिसे रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक नहीं हैं, अदालतों को वसीयत करने वाले की इच्छाओं का समान करना चाहिए, वसीयत स्वस्थचित स्वतन्त्र ईच्छा से करवाई गई थी जिसको वसीयत के दोनो गवाहों ने शपथ पत्रों से साबित किया हैं। वसीयत के अनुसार अलग इन्तकाल होकर रकबा अलग खातों में जमाबन्दी में दर्ज हो गया हैं व उसी अनुसार कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं, कोई कब्जा काश्त का विवाद नहीं हैं। वसीयत का इन्तकाल एक फिसकल इन्ट्री है, इससे किसी के अधिकारों का निर्णय नहीं होता जिस प्रकार से अपीलान्टगण ने अपील में एतराज उठाये हैं, उन मुद्दों का निराकरण इन्तकाल की अपील में नहीं किया जा सकता, वरन् इस प्रकार दस्तावेजो की विस्तृत साक्ष्य द्वारा व गवाहों के विस्तृत बयान व जिरह से ही निराकरण हो सकता हैं जो उचित अदालत में उचित वाद पत्र से ही सम्भव है न कि इस अपील से । रेस्पो. के विद्वान अभिभाषक की यह बहस भी रही हैं कि अपीलान्ट पीड़ित व हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं। बिना वसीयत जितना रकबा अपीलान्टगण को विरासत में प्राप्त होता उससे ज्यादा रकबा इनको वसीयत से प्राप्त हुआ है। विरासतन स्व. जागरसिंह के पांच वारिस थे व उनके स्वर्गवास के बाद आगे जिन जायज वारिसों को रकबा विरासतन आता है उससे ज्यादा रकबा वसीयत से प्राप्त हुआ है व वो ज्यादा रकबा अपीलान्टगण के नाम दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी निरस्त किया जाकर अपीलान्टगण को पीड़ित व प्रभावित पक्षकार नहीं मानते हुए अपील खारिज की जावे। बहस के समर्थन में कानूनी नजीरे RRD1984 पेज 391, RRD1986 पेज 262, RRT 2006 part -1 पेज 559, RRD1996 पेज 461, RRD1994 पेज 341, RRD2000 पेज 556, RRD2008 पेज 383, व आरटीए की धारा 39 व हिन्दू विधि अनुसार वसीयत का किया जाना नियमावली प्रस्तुत की गई।

13.11.19
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी जाकर मनन किया गया। अपील व अपील के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों व जैरअपील आदेश की तहसील से आई पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व दोनो विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा विभिन्न सम्मानित उच्च अदालतों द्वारा पारित निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन व मनन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दिनांक 30.01.2018 जिसके द्वारा असल वसीयत प्रस्तुत करवाने का निवेदन किया गया था उसके जबाब में रेस्पो. द्वारा असल वसीयत गुम हो जाने व उसकी रिपोर्ट थाना में दर्ज करवाना व गुमशुदा वसीयत की अखबार में सूचना जारी करवाने से साबित होता है कि इस अंतिम बहस के समय इस बिन्दु को आधार न बनाया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2018 अस्वीकार किया जाता हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद कानून की धारा 5 मय शपथ पत्र का रेस्पो. द्वारा जवाब व काउंटर शपथ पत्र द्वारा खंडन नहीं किया गया हैं इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को फैसले के ज्ञान से समय सीमा में मानते हुए स्वीकार किया जाकर सुनवाई हेतु स्वीकार की जाती हैं। जहां तक अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का प्रश्न हैं, अपीलान्ट स्वंय मान रहे हैं कि उनके दादा स्व. जागरसिंह के तीन पुत्र व दो पुत्रीयां पांच जायज वारिस प्रथम श्रेणी के थे व उन पांचो का भी स्वर्गवास हो गया हैं जिन सबके चार चार ,पांच पांच आगे वारिस हैं । इस प्रकार अपीलान्टगण को जितनी भूमि विरासतन प्राप्त होती उससे कहीं ज्यादा भूमि वसीयत से प्राप्त हुई हैं व वसीयत में सबसे कम भूमि जिस पक्षकार को प्राप्त हुई हैं उसके द्वारा अपील ही प्रस्तुत नहीं की गई है। धारा 96 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान हैं कि पारित निर्णय से जिस पक्षकार को सीधा स्पष्ट तौर पर नुकसान होता है, वहीं पीड़ित व प्रभावित पक्षकार होता हैं व वही अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी होता हैं, मौजूदा अपील में अपीलान्टगण को विरासतन से ज्यादा भूमि का हिस्सा वसीयत से प्राप्त होने पर पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आने से अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अस्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी अस्वीकार करने के पश्चात् भी अपील को मेरिट्स पर पढ़ा जावे तो तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पत्रावली में वसीयत के दो हांसिया के गवाहों ने शपथ पत्र देकर अपनी साक्ष्य से यह साबित किया हैं कि वसीयतकर्ता जागरसिंह ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से व स्वस्थचित से उनके सामने वसीयत लिखाई थी व वसीयत लिखने वाले ने वसीयत पढ़कर सुनाई थी, वसीयत सुनने व समझने के बाद ही वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर उनके सामने किये थे व बाद में गवाहों ने हस्ताक्षर किये थे इससे यह तथ्य पूरी तरह से साबित हुआ हैं कि जागरसिंह ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जिस प्रकार अपनी भूमि अपने तीनों पुत्रों के लड़को यानि अपने पोतो के पक्ष में वसीयत करवाई थी वह उसकी अपनी अंतिम स्वतन्त्र इच्छा थी व वसीयत गैरकानूनी या धोखे से करवाई साबित न की गई हो तो अदालत को भी वसीयतकर्ता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अपीलान्ट पक्ष की तरफ से भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे वसीयतकर्ता से धोखे में रख कर या दबाब से वसीयत करवाई गई साबित हो। वसीयत स्वतन्त्र इच्छा का एक दस्तावेज हैं, वसीयत के लिए यह भी जरूरी नहीं हैं कि वह रजिस्टर्ड हो। वसीयत एक साधारण पेपर पर भी होना मान्य हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

वसीयत नोटेरी से तस्दीकशुदा हैं। मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट वसीयत को संदेह के घेरे में होना साबित नहीं कर पाये हैं इसलिए अदालत जागरसिंह द्वारा लिखवाई गई वसीयत को उनके द्वारा स्वस्थचित से बिना किसी दबाब के दो गवाहों के सामने हस्ताक्षरित होने से एक वैध वसीयत की श्रेणी में होना मानती हैं। इस प्रकार अदालत तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं पाती हैं।

अतः उक्त सभी प्रकार के कानूनी बिन्दुओं पर विचार करने व सम्बन्धित कानूनी निर्णयों का गहनता से अध्ययन व मनन करने पर अपील के मुख्य बिन्दुओं पर विचार करने व धारा 96 सीपीसी के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्टगण अस्वीकार की जाती हैं व जैर अपील आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ दिनांक 08.03.2013 यथावत रखा जाता है। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-11-19 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13.11.19

(डॉ. गंजन सोनी)
अतिरिक्त कलक्टर,
सूरतगढ़।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner